

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक:एफ.8()आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/3010-16
स्वीकृति

जयपुर, दिनांक 21.03.2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 33-4/2020-NDM-1 दिनांक 14.03.2020 द्वारा COVID-19 को आपदा घोषित किया गया है। समस्त राजस्थान में बचाव एवं रेस्क्यू कार्य हेतु मेडिकल टीम के लिए निम्नानुसार उपकरण/सामग्री क्रय करने हेतु राशि रूपये 210.00 लाख (अक्षरे रूपये 2 करोड़ दस लाख मात्र), प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (RMSCL) के पी.डी. खाता संख्या 5669 में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से हस्तान्तरित किए जाने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	उपकरण/सामग्री	मात्रा	अनुमानित राशि प्रति नग (राशि रूपये में)	बजट (राशि लाखों में)
01	पी.पी.ई. किट	15,000	400.00	
02	एन 95 मास्क	2,00,000	70.00	60.00
03	ट्रिपल लेयर मास्क	1,00,000	10.00	140.00
	कुल राशि दो सौ दस लाख मात्र			210.00

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न बजट मद पर प्रभार्य होगा-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़ चकवात आदि

106- खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना

(08)- बाढ़ क्षेत्रों में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना

[02]- सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय

18- मशीनरी और साज-सामान/औजार एवं संयंत्र (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत 157.50लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत 52.50 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1- उक्त उपकरण/सामग्री की क्रय प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

2- RTTP Act 2012 एवं RTTP Rules 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

3- उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2020 के पश्चात उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी सं. 332000235 दिनांक 20.03.2020 के अनुसार जारी की जाती है।

दिनांक

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, (लेखा एवं हक) जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्या सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सँवाये, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (RMSCL) के पी.डी. खाता संख्या 5669 में राशि रूपये 210.00 लाख हस्तान्तरण कराने का श्रम करें।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (RMSCL), जयपुर, राज।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

19